


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2293, 2302, 2303/2011 जिला जयपुर

उनवान- मैसर्स लुहाडिया टेडिंग कम्पनी, जयपुर बनाम सीटीओ, प्रतिकरापवंचन, जोन - तृतीय, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम एपील हुकम की तारीख में जारी हुई
22.04.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मनोहर पुरी - सदस्य</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री आर के अजमेरा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी/अभिभाषक द्वारा हरताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावलियों पर उपलब्ध है, जिनमें अपीलार्थी/अभिभाषक ने निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते हैं। इस हेतु अपीलार्थी/अभिभाषक प्रकरणों को वापस लेना / (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपीलों को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी/अभिभाषक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर उपरोक्त हरतगत अपीलें को विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपीलें जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </p>	